न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (पाली)
पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 32/2017 (पुराना 116/2008 पुराना 01/2005)
प्रकरण दर्ज तिथि :— 23.02.2017
जीसीएमएस नम्बर :— 2017/00203

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. हेमा पुत्र मूलाराम 2. श्रवण पुत्र मूलाराम 3. किशना पुत्र मुलाराम 4. लक्ष्मीनारायण पुत्र जीवणराम 5. जवरीलाल पुत्र जीवनराम 6. भंवरलाल पुत्र जीवनराम 7. नेनूराम पुत्र जीवनराम 8. बाबूलाल पुत्र जीवनराम 9. धुकल पुत्र मूलाराम 10. प्रभुराम पुत्र मूलाराम 11. खींयाराम पुत्र मूलाराम जातिगण कुमावत निवासीगण करनोस हाल मुकाम झालामण्ड तहसील रायपुर		1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली 2. तहसीलदार रायपुर 3. पटवारी पटवार हल्का बाबरा 4. प्रहलाद पुत्र मोती 5. मेवा पुत्र नामालूम 6. अमरा पुत्र छोगा 7. कालू पुत्र जीवण 8. मोती पुत्र हेमा 9. मगना पुत्र भोला 10. किशना पुत्र भोला 11. बाबू पुत्र माना 12. हनुमान पुत्र बख्ता 13. नारायण पुत्र छीतर 14. रामा पुत्र भोला 15. ओकार पुत्र नामालूम 16. गोमा पुत्र नारायण 17. तेजा पुत्र छोगा 18. कालू पुत्र मांगू 19. नारायण पुत्र नाथा 20. सुखा पुत्र नाथा जातिगण गुर्जर निवासीगण रामगढ बाबरा तहसील रायपुर जिला पाली

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित 1 श्री श्यामलाल वैष्णव अधिवक्ता वादीगण
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 28.07.2022

वादी की ओर से वकील श्री श्यामलाल वैष्णव द्वारा दावां बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 92ए राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण में पेश किया गया था, वर्ष 2008 में न्यायालय रायपुर में स्थापित होनें से यहां वादपत्र की अग्रिम कार्यवाही में हैं।

1. वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा झालामण्ड पटवार हल्का बाबरा तहसील रायपुर के खसरा नम्बर 422, 417, 420, 415, 414, 416/1, 449, 412, 397, 411, 394/2 व 403 कुल खसरे 12 बारह तथा क्षैत्रफल कमशः 9.03, 18.01, 23.04, 2.02, 1.02, 2.00, 16.01, 7.00, 3.01, 2.01, 6.00 व 24.00 कुल क्षैत्रफल 117.15 बीघा आई हुई हैं। उपरोक्त आराजी में वादीगण अपने हिस्से माफिक मौके पर वक्त सेंटलमेन्ट से लेकर आज तक काबिज हैं और

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

शान्तिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं और अभी मौके पर रबी की फसल बोई हुई है, एक मात्र मालिकान अधिकार वादीगण का हैं, प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कानूनी रूप से कोई हक हिस्सा व अधिकार एवं कब्जा काश्त नही हैं। नक्शा एवं जमाबंदी एवं खसरा गिरदावरी प्रमाणित प्रति इस वादप त्र के साथ संलग्न हैं।

2. वादीगण की वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित उक्त आराजी की कृषि भूमि के पडौस में चिपते ही खाता संख्या एक खसरा नम्बर 410, खसरा नम्बर 421, खसरा नम्बर 417, खसरा नम्बर 405, खसरा नम्बर 404, खसरा नम्बर 423, खसरा नम्बर 330, खसरा नम्बर 450 गैर मुमकीन सिवाय चक भूमि स्थित हैं। इस खसरा नम्बरान की गैर मुमकीन कृषि भूमि में वादीगण के कच्चे एवं पक्के मकानात एवं बाडे बने हुए हैं और वादीगण का उक्त आराजी में मौके पर गत 15 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं, जिसमें वादीगण का बाडे में चारा पडा हैं। और मवेशी बंधती हैं एवं परिवार सहित रहते हैं और बिना रोक टोक के मालिकाना अधिकार के शान्तिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं इसके अलावा प्रतिवादीगण संख्या 04 से लगायत 20 तक का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है, न ही इसका मौके पर कब्जा काश्त हैं। उक्त प्रतिवादीगण झालामण्ड के रहने वाले नहीं है, और रामगढ में रहने वाले हैं, जो कानूनन हाथ में लेकर गैर कानूनी रूप से वादीगण को जबरदस्ती लाठी के बल पर बेदखल करना चाहते हैं, जो गैर कानूनी हैं। नकल प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 तक की साथ पेश हैं, जो वादपत्र का एक भाग माना जावें।

गत 15 वर्षो से वादीगण का कब्जा काश्त है और भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 की कार्यवाही चल रही हैं और जुर्माना की रसीदे की प्रति इस वाद पत्र के साथ संलग्न हैं, जो वादपत्र का एक भाग माना जावें। वादपत्र में वर्णित खसरा नम्बर की कृषि भूमि मालिकाना अधिकार के बिना किसी रोक टोक के वादीगण उपयोग एवं उपभोग में ले रहे हैं व शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त हैं। प्रतिवादीगण का कोई मौके पर कब्जा काश्त नहीं हैं और न ही मालिकाना अधिकार हैं और जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा करने के नियत से प्रतिवादीगण संख्या 04 से 20 तक ने मिल कर 300–400 महिलाओं एवं आदमियों को लेकर लाठिया, कुल्हाडीयों से लैस होकर अपनी मवेशी लेकर वादीगण की उक्त आराजी में अनाधिकृत प्रवेश कर खडी फसल गेहूं जीरा, इत्यादि को नष्ट करवा दी। वादीगण को उक्त घटना से संबंधित नुकशान का वादी लक्ष्मनारायण ने पुलिस थाना सेन्दडा मे मुकदमा न 236 दिनांक 19.012.2004 को जुर्म अन्तर्गत धारा 147,148,447 वगै भादस में दर्ज करवाया उक्त प्रतिवादीगण संख्या 04 से 20 तक के विरूद्ध दर्ज मुकदमा अभी जैर अनुसंधान हैं। प्रतिवादीसंख्या 04से 20 तक के विरूद्ध वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भुमि काश्त मुतालिक कुल कार्य करने एवं नुकशान नही पहुंचाने हेतु पाबंद करने के लिए धारा 107, 116 (3) सीआरपीसी के तहत कार्यवाही प्रकियाधीन हैं। वर्णित खसरा नम्बरान की कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त है एवं रहवासी मकान पेड, पोधे इत्यादि जो गत 15 वर्षो से बिना रोक टोक के शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 03 तक ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया। जो मौके पर से बेदखल करने की कार्यवाही करने भारी जुर्माना वसूल करने पर आमादा है, ज्यादा जुर्माना वसूल करने से एवं बेदखल करने से वादीगण के साथ अन्याय होगा। उक्त प्रकरण में वादपत्र

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का है और प्रतिवादी संख्या 01 जिला कलक्टर महोदय पाली, 02 तहसीलदार एवं 03 पटवारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार के विरूद्ध दावा करने से पहले दो माह का धारा 80 (2) सीपीसी के तहत नोटिस दिया जाना कानूनी रूप से मेन्डेटरी प्रावधान हैं, इसलिए नोटिस देने में समय अधिक लगेगा, जब तक मौके ही स्थिति एवं परिस्थितियों ही बदल जायेगी इसलिए राज्य सरकार को नोटिस दिये बिना ही आवश्यक प्रकृति का वादपत्र होने से यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि वादपत्र में वर्णित खसरान की आराजी में प्रतिवादीगण गैर कानूनी रूप से लाठी के बल पर वादीगण को बेदखल नहीं करें न ही खडी फसल को नष्ट करें और रहवासी कच्चे व पक्के मकान को तोड फोड नहीं करें। सिंचाई की पाईप लाईन एवं इंजन को तोड फोड नहीं करें। इसमें इनके खडे वृक्ष बैर, आंवला, नीम्बू, पपीता, इत्यादि पौधे काट कर नष्ट नहीं करें। प्रतिवादीगण सेख्या 01 से 03 तक स्वयं इनके अधीनस्थ कर्मचारी एवं शेष प्रतिवादीगण 04 से 20 तक स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर आदि काश्त मुतालिक कुल कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें,जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावें।

डिकी वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाई जावें कि खसरा नम्बरान जो वादपत्र के में वर्णित हैं, वादीगण का जिस जगह कब्जा काश्त हैं और कच्चे व पक्के मकान, बाडे व चारे की छाने बनी हुई है, जो वादीगण को उक्त खसरा नम्बरान की जमीन का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 04 से 20 के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई हैं। सरकारी पैराकार ने वादपत्र पर अपना जबाव प्रस्तुत किया है, जो शा. मि. किया गया जबावदावा में वादपत्र में पैरा संख्या 01 वादी स्वयं सिद्ध करें, वादपत्र का पैरा संख्या 02 अस्वीकार हैं, वादपत्र के पैरा संख्या 02 मे वर्णित आराजी पर यदि वादी का कब्जा है, तो वो मात्र अतिक्रमी हैं, जो बेदखली करने योग्य हैं। वादपत्र का पैरा 3 अस्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करें। वादपत्र का पैरा संख्या 04 अस्वीकार है, वादी स्वयं सिद्ध करें। वादपत्र का पैरा 05 अस्वीकार हैं, वादी का यदि कब्जा है तो वो मात्र अतिक्रमी हैं, जो बेदखल करने योग्य हैं। पैरा संख्या 06 अस्वीकार हैं वादी स्वयं सिद्ध करें। पैरा 07 विधिक हैं। पैरा 08 स्वीकार हैं। पैरा 09 अस्वीकार हैं वादी का यदि कब्जा हैं तो वो मात्र अतिक्रमी है जो बेदखली योग्य हैं। पैरा 10 अस्वीकार हैं वादी स्वयं सिद्ध करें पैरा संख्या 12 अस्वीकार है वादी का यदि कब्जा है, तो मात्र अतिक्रमी हैं जो बेदखली योग्य हैं। अतः दावा खारिज योग्य हैं।

उभयपक्ष बहस समायत की गई। बहस एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वादपत्र में अंकित भूमि वादी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 422, 417, 420, 415, 414, 416/1, 449, 412, 397, 411, 394/2 व 403 कुल खसरे 12 बारह हैं। वादी की खातेदारी भूमि के चिपते ही सरकारी भूमि के खसरा नम्बर 410, खसरा नम्बर 421, खसरा नम्बर 417, खसरा नम्बर 405, खसरा नम्बर 404, खसरा नम्बर 423, खसरा नम्बर 330, खसरा नम्बर 450 हैं। तहसीलदार रायपुर के जबाव के आधार पर वादी केवल अतिक्रमी हैं इसीलिए वादी को सरकारी भूमि में से खातेदारी दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः वादी द्वारा चाही गई वादपत्र में अंकित पैरा संख्या 02 की इस्तेदुआ खारिज की जाती हैं । वादपत्र में अंकित पैरा संख्या 01 की इस्तेदुआ में वादी की खातेदारी भूमि के

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)

खसरा नम्बर 422, 417, 420, 415, 414, 416/1, 449, 412, 397, 411, 394/2 व 403 कुल खसरे 12 बारह पर प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कुल कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाजा से रोका जाना न्यायोचित समझते हैं। इस पर उपस्थित वादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा चाही गई वादपत्र में अंकित पैरा संख्या 02 की इस्तेदुआ खारिज की जाती हैं । वादपत्र में अंकित पैरा संख्या 01 की इस्तेदुआ में वादी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 422, 417, 420, 415, 414, 416/1, 449, 412, 397, 411, 394/2 व 403 कुल खसरे 12 बारह पर प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर (पाली)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. हेमा पुत्र मूलाराम
2. श्रवण पुत्र मूलाराम
3. किशना पुत्र मुलाराम
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र जीवणराम
5. जवरीलाल पुत्र जीवनराम
6. भंवरलाल पुत्र जीवनराम
7. नेनूराम पुत्र जीवनराम
8. बाबूलाल पुत्र जीवनराम
9. धुकल पुत्र मूलाराम
10. प्रभुराम पुत्र मूलाराम
11. खींयाराम पुत्र मूलाराम

जातिगण कुमावत निवासीगण करनोस हाल मुकाम झालामण्ड तहसील रायपुर

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय पाली
2. तहसीलदार रायपुर
3. पटवारी पटवार हल्का बाबरा
4. प्रहलाद पुत्र मोती
5. मेवा पुत्र नामालूम
6. अमरा पुत्र छोगा
7. कालू पुत्र जीवण
8. मोती पुत्र हेमा
9. मगना पुत्र भोला
10. किशना पुत्र भोला
11. बाबू पुत्र माना
12. हनुमान पुत्र बख्ता
13. नारायण पुत्र छीतर
14. रामा पुत्र भोला
15. ओकार पुत्र नामालूम
16. गोमा पुत्र नारायण
17. तेजा पुत्र छोगा
18. कालू पुत्र मांगू
19. नारायण पुत्र नाथा
20. सुखा पुत्र नाथा

जातिगण गुर्जर निवासीगण रामगढ बाबरा

दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए राज. काश्त. अधि.
राजस्व वाद 32/2017 (पुराना 116/2008 पुराना 01/2005)

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री श्यामलाल वैष्णव अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा चाही गई वादपत्र में अंकित पैरा संख्या 02 की इस्तेदुआ खारिज की जाती हैं । वादपत्र में अंकित पैरा संख्या 01 की इस्तेदुआ में वादी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 422, 417, 420, 415, 414, 416/1, 449, 412, 397, 411, 394/2 व 403 कुल खसरे 12 बारह पर प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं।

नीज.....×.....मुबलिक.....×.....बाबत्.....×..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .×.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....×.....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.07.2022 को जारी किया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा —	00	00	स्टाम्प वकालतनामा —	00	00
स्टाम्प वकालतनामा —	11	00	स्टाम्प हाजरी —	00	00
स्टाम्प वजह सबूत —	00	00	मेहनताना वकील पर —		
मेहनताना वकील —			खर्चा गवाहान —		
खर्चा गवाहान —			फीस कमिश्नर —		
फीस कमिश्नर —			बाबत इजराय हुक्मनामा —		
बाबत इजराय हुक्मनामा —			मुतफरिक —	00	00
मुतफरिक —	14	00	मीजान		
मीजान	25	00		00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली)